



संदर्भ संख्या: पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर. टी. आई./2237/ 170

दिनांक:03.08.2023

सेवा में,

श्री उदयभान,
पुत्र श्री किरनपाल सिंह, चॉदपुर खुर्द, पोस्ट अवाखेडा,
तहसील मांट जिला मथुरा (मो. न. 8239140055)

विषय :आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2023 के संदर्भ में ।

महोदय,

आपके आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2023 जो कि पावरग्रिड फरीदाबाद कार्यालय में 04.07.2023 को प्राप्त हुआ के संदर्भ में आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी चाही है। इस अनुसार आपको निम्न सूचित किया जाता है:

बिंदु न.	मांगी गई जानकारी	पावरग्रिड द्वारा दी गई जानकारी
1.	खसरा संख्या 390मि0 में गाढे गये विधुत लाइन के खम्भे के सन्दर्भ में मुआवजे धनराशी किन किन व्यक्तियों को दी गयी है तथा उक्त मुवावजा धनराशी प्रार्थी व प्रार्थी के भाई मोरध्वज व पिता किरनपाल सिंह सह खातेदार होने के बाबजूद भी क्यों अदा नहीं की गयी ।	आपको यह सूचित किया जाता है टॉवर निर्माण कार्य के दौरान होने वाली फसल क्षतिपूर्ति का मुआवजा मौका मुआयना करके पात्र व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार एवं सम्बंधित राजस्व विभाग से स्वामित्व सत्यापन के आधार पर भुगतान किया जाता है। अतः इस संदर्भ में श्री राजकमल सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह के द्वारा शपथ पत्र दिनांक 09.11.2021 को दिया गया। शपथकर्ता ने बताया कि सम्बंधित खेत खतौनी में अंकित मालिको से वाको पर लिया है और निर्माण कार्य के दौरान फसल शपथकर्ता कि नष्ट हुई है, उसे ही मुआवजा दिया जाये। इस अनुसार शपथकर्ता को मुआवजा दिया गया।

मान्य

...2

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा, कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,
SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002,
फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद |

भवदीय

जी. पी. पयासी
28/12/02

[जी. पी. पयासी]
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना एवं अभियांत्रिकी)
एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, उ. क्षे. -1
फोन न.0129-2666305